

**बिहार नरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अथि कूच बा ॥**

पटना—15, दिनांक 18 मार्च, 2019

संख्या : 1/सी०—०३/२०१२(खण्ड)—सा०प्र०—३७२४/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान—लेवल—१२—रु.७८,८००—२,०९,२००/-) में प्रोन्नति दी जाती हैः—

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री राजीव रौशन(2010)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर )	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
2	श्री कौशल किशोर(2010)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
3	श्री कवल तनुज(2010)	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
4	श्री चन्द्रशेखर सिंह(2010)	संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
5	श्रीमती रचना पाटिल(2010)	निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
6	श्री अनिमेष कुमार पराशर (2010)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज)	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
7	श्री राज कुमार (2010)	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से
8	श्री हिमांशु कुमार राय(2010)	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से

*२५।*


क.प.ऊ.

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 12.11.2018 से दिनांक 07.12.2018 तक की अवधि में निर्धारित मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—III (जो दिनांक 12.11.2018 से 14.12.2018 तक के लिए पुनर्निर्धारित भी हुई थी) को अकादमी द्वारा स्थगित कर दिये जाने के कारण क्रमांक—1 की तालिका के श्री राजीव रौशन, श्री कौशल किशोर, श्री कंवल तनुज एवं श्री हिमांशु कुमार राय उक्त मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—III में भाग नहीं ले सके हैं। फलस्वरूप, इस हेतु इन पदाधिकारियों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है।

3. अतएव, श्री राजीव रौशन, श्री कौशल किशोर, श्री कंवल तनुज एवं श्री हिमांशु कुमार राय को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण (अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—III, जो अपर सचिव सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत शर्तों में से एक है) को अवश्य पूरा कर लेंगे।

4. क्रमांक—1 की तालिका के पदाधिकारी— श्री कौशल किशोर, श्री कंवल तनुज, श्री चन्द्रशेखर सिंह और श्री हिमांशु कुमार राय को अपर सचिव के रूप में पदनामित भी किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
18.3.19  
(कन्हैया लाल साह )


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : /सी०-०३/२०१२(खण्ड)—सा० प्र०-३७२४/पटना-१५, दिनांक: १८ मार्च, २०१९

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशास्त्र पदाधिकारी (प्रशास्त्र—१ एवं प्रशास्त्र—६) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:—

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

  
18.3.19  
सरकार के अवर सचिव।